

प्रधान कार्यालय
उ.प.रेलवे जयपुर
आरबीई सं.-20/2015
दिनांक 25.03.2015

संख्या:-817-E/O/1/Retirement

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर

सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

R.B.E.020/2015

Sub:- पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारापेंशन के कागजातों के साथ वचन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

Ref:- 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई)।।।/2008/पीएन 1/13 दिनांक 17.03.2015

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि 17.03.2015 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंगन- यथोक्त।

(दिलीप व्यास)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 01. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 प्रतियाँ। |
| 02. महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 प्रतियाँ। |
| 03. महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 15 प्रतियाँ। |
| 04. महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 05. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 06. महासचिव- एआई.आरपीएफ एसो. | 05 प्रतियाँ। |

आरबीई सं. 20/2015

RR-2976 भारत सरकार
29 MAR 2015 रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

GM
CFO
FA&CAO
Dy CFO (EF)
Chos/EP

सं.एफ(ई)III/ 2008/पीएन1/13

नई दिल्ली, दि.: 17.03.2015

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयाँ,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

North Western Railway, Jaipur.

विषय- पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के कागजातों के साथ वचन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर पेंशन एवम् पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपीएण्डपीडब्ल्यू) के दिनांक 7 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011- पीएण्डपीडब्ल्यू(ई) की एक प्रति सूचना एवम् अनुपालन हेतु संलग्न है। ये अनुदेश यथोचित-परिवर्तनों सहित रेलों पर भी लागू होंगे। उक्त का.जा. में उल्लिखित सीसीएस (पेंशन) नियम के फॉर्म 5 का तदनुसूची फॉर्म रेल सेवा पेंशन नियम, 1993 का फॉर्म 8 है।

2. कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

(अमिताभ जोशी)

उप निदेशक वित्त(स्था.)III,
रेलवे बोर्ड.

महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे
20 MAR 2015

36
24/3

RBE No. 20/2015

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PN1/13

New Delhi, Dated: 17.03.2015.

The GMs/FA&CAOs,
All Indian Railways/Production Units.
(As per mailing list)

Subject: Simplification of pension procedure – submission of undertaking by retiring Government servant along with pension papers – reg.

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/27/2011-P&PW(E) dated 7th May, 2014 on the above subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also. Form 5 of CCS(Pension) Rules mentioned in the said O.M. corresponds to Form 8 of Railway Services (Pension) Rules, 1993.

2. Please acknowledge receipt.

DA: As above.



(Amitabh Joshi)
Deputy Director Finance(Estt.),
Railway Board.

सं. 1/27/2011-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली,

7 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के कागजातों के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन अदायगी स्कीम' में यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी द्वारा पेंशन शुरू होने से पहले वितरक बैंक को वचन पत्र प्रस्तुत करना है। इस वचन पत्र में पेंशनभोगी उस धनराशि को वापस करने या उसकी प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है जिसका वह हकदार नहीं है।

2. यह पता चला है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन के भुगतान में मुख्यतः दो कारणों से देरी होती है। पहला, पेंशनभोगी द्वारा इस सूचना को प्राप्त होने में देरी कि पेंशन के कागजात बैंक में पहुंच गए हैं, और दूसरे पेंशनभोगी की ओर से वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक पहुंचने में देरी।


3. कुछ समय से सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन कागजात के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने की सभावना पर विचार किया जाता रहा है। अतः व्यय विभाग की उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 द्वारा व्यक्त सहमति से निम्नलिखित सरलीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व फार्म 5 एवं अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उससे वांछित वचन पत्र लिया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए लेखा अधिकारी/ सीपीएओ द्वारा पेंशन अदायगी आदेश के साथ इस वचन पत्र को पेंशन वितरक बैंक को अग्रेषित कर दिया जाए। पेंशन दस्तावेजों के साथ इस वचन पत्र के प्राप्त होते ही बैंक, पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा कर दे।

4. अब पेंशनभोगी को पहली पेंशन का भुगतान शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन अदायगी आदेश की बैंक प्रति भेज दी गई है, पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की अन्य देयताओं के साथ पेंशन अदायगी आदेश की पेंशनभोगी वाली प्रति भी सौंप दी जाए। यह उन सभी मामलों में व्यवहार्य होगा जिनमें पेंशनभोगी ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं।

5. यदि कोई कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से दूर किसी स्थान पर तैनात है या जो किसी अन्य कारणवश ऐसा मानता है कि उसे अपनी पीपीओ की प्रति बैंक से लेना अधिक सुविधाजनक होगा, तो वह अपने पेंशन कागजात जमा करते समय कार्यालयाध्यक्ष को अपने इस विकल्प के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है।

6. महालेखा नियंत्रक कार्यालय से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों और सभी पेंशन वितरक बैंकों को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुपालन तथा पेंशन स्वीकृति और अदायगी प्रक्रिया एवं स्कीम पुस्तिका में यथोचित संशोधन करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया अब से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें। डाक एवं दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया लेखा अधिकारियों और पेंशन वितरक डाक घरों/बैंकों को दिए जाने वाले निर्देशों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने संबंधी यथोचित संशोधन करने का कष्ट करें।



(डी.के. सोलंकी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सूची के अनुसार
2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली
3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-11, भोकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
4. व्यय विभाग (ई.वी शाखा को उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 के संदर्भ में), नाथ ब्लाक, नई दिल्ली
5. डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
6. दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली